

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
करण संख्या 192/2024 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेशन)
गटा केपिटल हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत पता- ग्यारहवीं मंजिल, टॉवर-ए, पेनिनसुला विज्ञानस
पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. विजय लक्ष्मी उर्फ विजय लक्ष्मी सेन पत्नी शंकर लाल सेन,
2. शंकर लाल सेन पुत्र गोपाल लाल,
पता:- प्लॉट नं. 2629, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर,
बी एल ब्यूटी पॉर्लर, 01, मुक्तानंद नगर, गोपालपुरा मोड़, जयपुर
एवं फ्लेट नं. 28, तृतीय तल, ब्लॉक ए, वसुन्धरा कुटुम्ब, बीलवां कलां, चोखी ढाणी के पास, टोंक रोड़,
तहसील सांगानेर, जयपुर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर


The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 21.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु
दिनांक 25.09.2017 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी शंकर लाल सेन एवं विजय लक्ष्मी सेन के
स्वामित्व की संपत्ति यूनिट नं. एल-ए/थर्ड/28, तृतीय तल, टाईप एलआईजी, ब्लॉक ए, ग्राम बीलवा
कलां, वसुन्धरा कुटुम्ब, चोखी ढाणी के पास, टोंक रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 550 बर्गफीट
को बन्धक रख कर कुल राशि 11,38,832/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी
द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के
अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये
जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application
under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का
भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना
गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 11,38,832/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 11,62,016/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.01.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी शंकर लाल सैन एवं विजय लक्ष्मी सैन के स्वामित्व की बंधक संपत्ति यूनिट नं. एल-ए/थर्ड/28, तृतीय तल, टाईप एलआईजी, ब्लॉक ए, ग्राम बीलवा कलां, वसुन्धरा कुदुम्ब, चोखी ढाणी के पास, टोंक रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 550 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलाक्ट) जयपुर (ग्रामीण)